कार्यालय नगर पालिक निगम रतलाम म.प्र.

1050

दिनांक 22-12-2020.

-बैठक कार्यवृत दिनांक 22-12-2020-

दिनांक 22-12-2020 को दोप0 12.30 बजे समय सीमा (TL) के प्रकरणों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1- श्री भविष्य कुमार खोब्रागड़े--प्र0उपायुक्त,
2- श्री विकास सोलंकी-प्र0उपायुक्त,
3- श्रीमती ज्योति सुनारिया-सहायक आयुक्त,
4- श्रीमती नीता जैन-सहायक आयुक्त,
5- श्री सुरेशचन्द्र व्यास-प्र0कार्यपालन यंत्री,
6- श्री जी.के. जायसवाल, प्र0कार्यपालन यंत्री,
7- श्री एम.के. जैन, प्र0 कार्यपालन यंत्री, वि0शा0,
8- श्री श्याम कुमार सोनी-प्र0सहायक यंत्री, लोनिवि.,
9- श्री सत्यप्रकाश आचार्य-प्र0जलप्रदाय,
10- श्री अरविंद दशोत्तर-प्र0सहायक यंत्री,
11- श्री ए.पी.सिंह, प्र0स्वच्छता अधिकारी
12-- श्री जसवंत कुमार जोशी-प्र0सचिव,
13- श्री रामचन्द्र शर्मा प्र0कार्यालय अधीक्षक,
14- श्री नितिन तिवारी-सिटी मिशन मैनेजर,
15- श्री कपिल मारोठिया-सिटी मिशन मैनेजर
16- श्रीमती आयुषी पालीवाल-समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी,
17- श्री प्रमोद तिवारी-स्टेनोग्राफर,
18- श्री हेमन्त बंदोड़िया-स्थायीकर्मी,

बैठक में विचार-विमर्श के दौरान निम्नानुसार निर्देश दिये गए :-

(1)- आगामी दिनांक 04-01-2021 को आयोजित सी.एम. विडियो कान्फ्रेस के बिन्दु बाबत अपने विभाग से संबंधित विषय का निराकरण करें ।

Scanned with CamScanner

(2)– श्री श्याम व्यास सेवानिवृत लेखा अधिकारी को सेवानिवृति पश्चात मिलने वाली पेंशन का भुगतान के संबंध में सही तरीके से प्रस्ताव तैयार कर पेंशन शाखा द्वारा संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, उज्जैन को भिजवाया जावे ।

(कार्यवाही श्री विकास सोलंकी प्र0 उपायुक्त)

(3)– जो विषय का निराकरण हो चुका है उन्हें प्र0कार्यालय अधीक्षक डिलिट करवा दें।

(4)– आजाद चौक गोल मार्केट का अंतिम निराकरण किया जावे ।

(5)– अरिहंत परिसर सेक्टर 01 में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सड़क, नाली के एस्टीमेट बनवाये जाएं ।

(6)– लोक सूचना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रकरणों के संबंध में लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर ही प्रकरण कंपलीट कर समयावधि में निराकरण किया जावे, ताकि अपील की स्थिति उत्पन्न न हो।

(7)– पुखराज सिटी विकास समिति के "कॉलोनी की पाईप लाईन को मुख्य पाईप लाईन से जोड़ने बाबत" प्र0कार्यपालन यंत्री–जलप्रदाय द्वारा नस्ती बुलवाकर निराकरण किया जावे।

(8)– यातायात व्यवस्था हेतु क्रेन उपलब्ध करवाने के संबंध में श्री एम.के. जैन प्र0अधिकारी–कर्मशाला को निर्देश दिये गए कि निगम परिसर में लौहे की काफी सामग्री पड़ी हुई है इनसे वेल्डर/मैकेनिक व श्री विजयसिंह निगम कर्मचारी को लगाकर क्रेन बनाये जाने का कार्य करवाया जावे । इस हेतु कोई अन्य सामान अथवा मोटर आदि की आवश्यकता होने पर कर्मशाला विभाग द्वारा इन्हें उपलब्ध करवायी जावेगी।

(9)– समेकित कर के संबंध में जानकारी बाबत नस्ती निकलवायी जाय ।

(कार्यवाही उपायुक्त/सहायक आयुक्त सम्पत्तिकर)

(10)– परिवार के मुखिया का आकस्मिक निधन होने पर शासकीय योजनानुसार तात्कालिन सहायता राशि परिवार को मुहैया कराने बाबत संबंधित का आवेदन निकलवाकर उससे बात कर ली जाय कि उसे उक्त राशि मिल गई है या नहीं ।

(कार्यवाही सामाजिक सुरक्षा पेंशन वि0)

(11)– कस्तूरबा नगर जैन मंदिर पानी की टंकी बगीचे के चारों ओर निर्मित सीमेंट कांक्रीट की घटिया स्तर का निर्माण की जांच बाबत, प्रतिवेदन कलेक्टर, जिला रतलाम को प्रेषित किये जाने के पूर्व संबंधित ठेकेदार को नोटिस देकर उक्त सड़क के सीमेंट कांक्रीट कार्य को ठीक करवाया जावे।

Scanned with CamScanner

(12) आर्मी भर्ती में टेंट व्यवस्था राशि का भुगतान करने बाबत यह प्रतिवेदन भेजा जाए कि पूर्व जनसंपर्क अधिकारी श्री राजेन्द्र कोठारी द्वारा लिखित मे यह अवगत कराया गया है कि यहां पर तत्संबंधी विषय में कोई हस्ताक्षरित कागजात उपलब्ध नहीं है । अतः श्री राजेन्द्र कोठारी तत्कालिन जनसंपर्क अधिकारी को कलेक्टोरेट में बुलवाकर उनसे इस संबंध में जानकारी ली जावे।

(13)– कचरा मुक्त शहर (जी.एफ.सी.) स्टार रेटिंग के घटक क्र0 E2 अन्तर्गत निकायों में जुर्माना/स्पॉटफाइन को लागू करने के संबंध में व दिनांक 22–12–2020 के टीएल पत्रक में अ0क्र0 79 के विषय बाबत भी आवश्यक कार्यवाही की जावे।

14– सीवर सफाई में मृत्यु रोकने हेतु दिशा निर्देश के संबंध में, हर वार्ड में नालियों के जंक्शन के यहां स्क्रीनिंग जाली लगायी जावे । वार्ड के माडल स्थल जहां पर नालियां ढकी हो, डिवाईडर लगे हों, जाली लगी हो, फुटपाथ पर ग्रील लगी हो। इस हेतु उपयंत्री को अपने क्षेत्र में स्थान चयन बाबत पूर्व बैठक में भी निर्देश दिये गए हैं तदनुसार कार्यवाही की जावे । 5 स्टार, 7 स्टार के मान से इतना हर हाल में करना ही है ।

15– छत्रीपुल, निगम भवन, छंत्रीपुल की खाली जमीन, कालिका माता के पास, अमृत सागर आदि हैं ये सब म0प्र0 शासन के नाम पर दर्ज होंगे, साथ ही हाउसिंग बोर्ड द्वारा डेवलप की गई कालोनी के बगीचे व नगर सुधार न्यास भवन आदि को देखा जावे व जिन प्रापर्टी में म.प्र0 शासन दर्ज है उनको नगर पालिक निगम रतलाम के नाम पर दर्ज किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

16– टी.आय.टी. रोड़ पर म0प्र0 राज्य परिवहन निगम को वर्ष 1966 में लीज पर 19000 वर्गफीट जमीन नगर निगम द्वारा दी गई की नस्ती का अध्ययन कर देखा जावे व देखा जावे कि उनके द्वारा 1966 में लीज हेतु कितने समय के लिए दी गई व इस हेतु कितनी राशि भरी गई व लीज अवधि कब खत्म हुई। म0प्र0 राज्य परिवहन निगम के विगत वर्षो पूर्व अस्तित्व समाप्त हो जाने से उक्त संपत्ति पर वर्तमान में किसका कब्जा है व उक्त जमीन को नगर निगम के आधिपत्य में लेने के संबंध में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जाय ।

17– इसी प्रकार नगर निगम की कौन–कौन सी संपत्ति है जिसको लीज पर दिया गया व उसकी लीज समाप्त हो गई इसे देखा जावे । इस हेतु ऐसी संपत्तियों की लीज के संबंध में नस्ती निकालकर देखा जावे व आगामी कार्यवाही की जावे ।

Scanned with CamScanner

18-- श्री वासुदेव बैरागी समयपाल द्वारा :कार्यवृत्त को निगम की वेबसाईट rmcratlam.in पर अपलोड किये जाने का कार्य किया जावे ।

इसके साथ ही प्रकरणों में समक्ष में दिये गए निर्देश अनुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जावे ।

उक्तानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित किया जावे ।

सही/
(सोमनाथ झारिया)
आयुक्त
नगर पालिक निगम रतलाम

पृ0क्र0/ 1050/35 /नि.स./2020 रतलाम, दिनांक 22-12-2020

प्रतिलिपि,

1— कलेक्टर एवं प्रशासक महोदय, नगरपालिक निगम.रतलाम की ओर अवलोकनार्थ प्रेषित ।

2— समस्त विभाग प्रमुख, नगर पालिक निगम—रतलाम,

3— संबंधित श्री ———————————————————

नगर पालिक निगम, रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त 22/12
नगर पालिक निगम रतलाम

Scanned with CamScanner